न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर।

उपस्थित: सुधीर कुमार–V एच0जे0एस0

(J.O. Code- UP 6546)

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 779 सन 2026

(CNR No. UPFT-010020932026)

राम सुमेर पुत्र भोलाराम निवासी ग्राम अकबरपुर थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर।

..... आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

..... अभियोजक

अपराध संख्या: 79 सन 2026

धारा: 318(4),319(2),336(3) व 338, 340(2) भारतीय न्याय संहिता

थाना: किशनपुर, जनपद फतेहपुर।

12.06.2026 :

आवेदक/अभियुक्त रामसुमेर की ओर से यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या 79 सन 2026 अन्तर्गत धारा 318(4), 319(2) व 336(3), 338, 340(2) भारतीय न्याय संहिता थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से स्वयं आवेदक/अभियुक्त द्वारा इस आशय का शपथपत्र दिया गया है कि इस न्यायालय में अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में न तो दिया गया, न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा मिलन देवी ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन), खागा फतेहपुर न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसकी सरकारी खाद्यान्न की दुकान संख्या 20421389 ग्राम नरैनी से चल रही है जिसमें उसने रामसुमेर को छः हजार रूपये प्रतिमाह की दर से एक नौकर के रूप में रखा था जिसने उसने बरगलाकर उसकी चेकबुक, स्टॉक रजिस्टर एवं ई–पास मशीन अपने पास रखता था और उसकी राशन की दुकान में अपना मोबाइल

नम्बर हर जगह लगवा रखा था जिससे उसे किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। माह नवम्बर 2025 के खाद्यान्न उठान में जब चावल आया तो उसमें कुछ बोरियां कम हो गयी जिसमें उसका भतीजा राघवेन्द्र सिंह ने लेबरों से जानकारी किया कि कितनी बोरी उतारा है तो लेबरों ने 160बोरी उतारा जाना बताया जबकि 85कुन्तल आंवटन के अनुसार 170 बोरी होना चाहिए। तब उसके भतीजे को शंका हुई, रामसुमेर से पूछा कि कमीशन आता है या नहीं तो उसने बताया कि कोई कमीशन नहीं आता है जबकि अन्य कोटेदारों द्वारा बताया गया कि 90/– रूपये प्रति कुन्तल कमीशन आता है। तब उसके भतीजे द्वारा बैंक से उसके खाता संख्या 36770479599 स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा थरियांव का स्टेटमेंट निकलवाया गया तो बारह लाख रूपये का गमन पाया गया जिसमें रामसुमेर स्वयं उसके चेक में उसके फर्जी हस्ताक्षर बनाकर रूपया निकालता रहा जबकि उसने कहीं भी किसी प्रकार हस्ताक्षर नहीं किया। उक्त रामसुमेर मु0 3,25,000/– रूपये गोकरन के नाम उसके फर्जी हस्ताक्षर बनाकर निकाला एवं अन्य खातों में ट्रांसफर करता व निकालता रहा। सरकार द्वारा राशन फ्री चल रहा है, फिर भी रामसुमेर ने राज्य सार्वजनिक वितरण में रूपया दर्शित कर अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलीभगत पर रूपया निकालता रहा। शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक थरियांव से उसने अपने दस्तावेज प्रार्थनापत्र के माध्यम से मांगा तो कहा कि उसे नहीं दे सकते, थाने में तहरीर दीजिये उन्हीं को उपलब्ध करायेंगे। उसने थाना प्रभारी को प्रार्थनापत्र दिया लेकिन कोई कार्यवाही हुई तब दिनांक 01.01.2026 को पुलिस अधीक्षक फतेहपुर को पंजीकृत डाक से प्रार्थनापत्र दिया किन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही न होने पर न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया।

उक्त प्रार्थनापत्र पर सम्बन्धित न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 19.03.2026 के अनुपालन में दिनांक 06.04.2026 को सम्बन्धित थाना किशनपुर में मुकदमा अपराध संख्या 79 सन 2026 पंजीकृत कर प्रकरण की विवेचना प्रारम्भ की गयी।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की बहस सुना तथा केस डायरी आदि अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा है कि आवेदक निर्दोष है, उसे इस मामले में झूंठा फंसाया गया है। जिस प्रकार की घटना कारित करना कहा जाता है, आवेदक ने वैसा कोई अपराध कारित नहीं किया और न ही कोई धोखाधड़ी कूटरचित प्रपत्र निर्मित किया। आवेदक हरिजन जाति का है जबकि वादिनी व उसका भतीजा ठाकुर जाति के है। आवेदक को छः हजार रूपये प्रतिमाह में सरकारी राशन की दुकान संचालित करने हेतु नौकर रखा था और आवेदक ईमानदारी से अपना कार्य

करता रहा। आवेदक वादिनी के बताये अनुसार दुकान के रजिस्टर व अन्य दस्तावेज मेंटेन करता रहा और कोई छल या धोखाधड़ी नहीं किया। वादिनी स्वयं हस्ताक्षर बनाती थी एवं ई पास मशीन अपने अंगूठे से चालू करती थी एवं चेकों में स्वयं हस्ताक्षर बनाकर देते जिसमें बैंक जाकर आवेदक के सामने स्वयं रूपया आहरित करवाते। आवेदक नौकर की हैसियत से कार्य करता और वादिनी का भतीजा राघवेन्द्र हमेशा देखरेख करता था जिससे आवेदक को पूरी जानकारी नहीं हो पाती थी। वादिनी के भतीजे राघवेन्द्र की मॉ संतोष कुमार 2015–2020 में प्रधान रही और ग्राम प्रधान या उसके परिवार के किसी व्यक्ति को सस्ते गल्ले की दुकान आवंटित नहीं हो सकती जिससे राघवेन्द्र ने अपनी चाची वादिनी के नाम 2017 में दुकान आवंटित करवा दिया जिसका संचालन वादिनी एवं राघवेन्द्र करते थे तथा आवेदक मात्र नौकर था। आवेदक को छः हजार रूपये में नौकरी करने व तीन चार महीने बाद पॉच हजार बढ़ा देने की शर्त पर रखा था तथा आवेदक ने वादिनी एवं राघवेन्द्र से रूपये बढ़ाने की बात जून 2025 में किया तो नाराज हो गयी और नौकरी से हटाने एवं किसी अन्य को रखने को कहा तथा साजिश के तहत प्राथमिकी दर्ज करा दी। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत का घोर विरोध करते हुए यह तर्क रखा है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी जो कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान की स्वामी है, की दुकान पर नौकरी करते हुए उसकी चेकबुक आदि अपने पास रखकर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर बैंक खाते से रूपये आहरित कर लिया एवं गल्ले में भी हेराफेरी किया और वादिनी का लाखों रूपये हड़प लिया। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध दौरान विवेचना विवेचक द्वारा पर्याप्त साक्ष्य संकलित की गयी है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है। आवेदक/अभियुक्त अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

आवेदक/अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने छल व धोखा देते हुए वादिनी की चेक पर वादिनी के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर रूपये आहरित किया एवं खाद्यान्न में हेराफेरी किया। प्राथमिकी के अनुसार वादिनी सरकारी खाद्यान्न की दुकान संख्या 20421389 में आवेदक/अभियुक्त रामसुमेर को 6,000/– रूपये प्रतिमाह पर नौकर होने एवं उसके द्वारा वादिनी की चेकबुक, स्टॉक रजिस्टर एवं ई–पास मशीन अपने पास रखने एवं राशन की दुकान में अपना मोबाइल नम्बर हर जगह लगवाने जिससे वादिनी को किसी प्रकार की जानकारी नहीं होने, नवम्बर 2025 के खाद्यान्न उठान में चावल की कुछ बोरियां कम होने पर वादिनी के भतीजे राघवेन्द्र सिंह द्वारा लेबरों से जानकारी करने पर लेबरों द्वारा 160बोरी उतारने जबकि 85कुन्तल आंवटन

के अनुसार 170 बोरी होने एवं रामसुमेर से पूछने पर रामसुमेरे द्वारा कोई कमीशन नहीं आना बताने जबकि अन्य कोटेदारों द्वारा 90/– रूपये प्रति कुन्तल कमीशन आना बताने, वादिनी के खाता संख्या 36770479599 स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा थरियांव का स्टेटमेंट निकलवाने पर मु0 12,00,000/– रूपये का गबन पाये जाने एवं रामसुमेर द्वारा स्वयं वादिनी चेक में उसके फर्जी हस्ताक्षर बनाकर रूपया निकालते रहने जबकि वादिनी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये जाने एवं रामसुमेर मु0 3,25,000/– रूपये गोकरन के नाम उसके फर्जी हस्ताक्षर बनाकर निकालने एवं अन्य खातों में ट्रांसफर करने व निकालते रहने का उल्लेख किया गया है। वादिनी ने विवेचक को दिये गये बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदक/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास होना बताया गया है। प्रकरण की विवेचना प्रचलित है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, केस की गम्भीरता, अपराध कारित करने में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता/भूमिका, दण्ड की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त विवेचन की पृष्ठभूमि में आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त, संतोषजनक व युक्तियुक्त आधार मौजूद नहीं है। तदनुसार अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त रामसुमेर की ओर से प्रस्तुत उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक: 12.06.2026

(**सुधीर कुमार– V**)
सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर।

SUDHIR KUMAR
Digitally signed by SUDHIR KUMAR
Date: 2026.06.12 12:47:46 +05'30'